(b) what are the reasons for not utilisation of the amount; and

(c) if so, the total amount allotted for the purpose during the Seventh Five Year Plan period?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI BRAHM DUTT): (a) and (b) The proposals for expansion of Bongaigaon Refinery and Petro-chemicals Ltd. cannot be processed now on account of the new refinery proposed in Assam under the Assam Accord.

(c) A provision of Rs. 250 crores was made for the expansion of Bongaigaon Refinery in the Seventh Plan.

नागरिकों को राजभाषा/प्रादेशिक भाषा में न्याय उपलब्ध कराना

1412. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अब भारत के नागरिकों को अपनी स्वतंत्र राजभाषा अथवा प्रादेशिक भाषा में न्याय उपलब्ध कराने की कोई योजना बनाई है ; यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) यदि नहीं, तो ऐसी योजना कब तक बनाए जाने की संभावना है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) भारत के संविधान के अनुच्छेद 348(1) के अधीन उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय की कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी । संविधान के अनुच्छेद 348(2) और राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7 के अधीन किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, उच्च न्यायालय में अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा । अतः राज्य सरकारें ही उच्च न्यायालयों में हिंदी भाषा या राज्य की राजभाषा का प्रयोग आरंभ कर सकती है । मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के उच्च न्यायालयों में हिन्दी भाषा के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति की आज्ञा दी जा चुकी है ।

राजभाषा में विधि पुस्तकें

1413. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विधि और न्याय की कितनी पुस्तकें राजभाषा में तैयार की गई हैं और कितनी अभी तैयार की जानी शेष हैं ;

(ख) सरकार तथा अन्य निकायों द्वारा राजभाषा में कितनी विधि पत्रिकाएं प्रकाशित की जा रही हैं ; और

(ग) क्या न्यायालयों, विशेषकर उच्च न्यायलय और भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा राजभाषा को कम प्रश्रय प्रदान किए जाने के कारण इसकी प्रगति रुक गई है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि राजभाषा में कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं । तथापि, विधि और न्याय मंत्रालय ने अब तक उन्नीस मानक विधि पुस्तकें, एक विधि शब्दावली (अंग्रेजी-हिन्दी) और एक बहुभाषी संविधान शब्दावली प्रकाशित की हैं । महत्वपूर्ण केन्द्रीय अधिनियम भी बड़ी संख्या में द्विभाषीय रूप (हिन्दी-अंग्रेजी) में प्रकाशित किए जा चुके हैं । इस समय पांच मूल पुस्तकें और पूर्व प्रकाशित चार पुस्तकों के पुनरीक्षित संस्करण मुद्रणाधीन हैं । ग्यारह पुस्तकों की पाण्डुलिपियां विभिन्न प्रक्रमों पर तैयार की जा रही हैं तथा दस और विषयों के लिए लेखकों का चयन किया जा रहा है।

(ख) यह मंत्रालय दो मासिक विधि रिपोर्टें हिन्दी में प्रकाशित कर रहा है जिनमें से एक में उच्चतम न्यायालय के निर्णय और दूसरी रिपोर्ट में विभिन्न उच्च न्यायालयों के चुने हुए निर्णय प्रकाशित किए जाते हैं। यह "विधि साहित्य समाचार" नामक एक त्रैमासिक पत्रिका भी प्रकाशित कर रहा है। सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि अन्य निकायों द्वारा राजभाषा में कितनी विधि पत्रिकाएं प्रकाशित की जा रही हैं

(ग) जी नहीं।

हिन्दी में विधि कक्षाएं

1414. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन संस्थाओं के नाम क्या हैं जहां विधि की पढ़ाई हिन्दी में हो रही है;

(ख) वे कौन-कौन से उच्च न्यायालय हैं जहां बहस तथा निर्णयों के लिए हिन्दी का प्रयोग किया जाता है और ऐसे कौन से उच्च न्यायालय हैं जहां न तो बहस ही हिन्दी में होती है और न ही न्याय हिन्दी में लिखे जाते हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि जिन अधिवक्ताओं ने विधि का अध्ययन हिन्दी में किया है उन्हें दिल्ली में वकालत करने की अनुमति नहीं दी जाती है यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) ऐसी संस्थाओं के नाम, जहां विधि शिक्षण का माध्यम हिन्दी है, उपलब्ध नहीं है। तथापि, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात राज्यों के निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में, प्रथम डिग्री स्तर पर विधि-शिक्षण अंग्रेजी अथवा हिन्दी भाषा में भी होता है :

बिहार :

(1) पटना (2) एच०एन० मिथिला
(3) पटना

मध्य प्रदेश :

(1) ए० पी० सिंह (2) जबलपुर
(3) जीवाजी (4) रविशंकर
(5) विक्रम (6) इन्दौर

राजस्थान :

(1) राजस्थान (2) उदयपुर

उत्तर प्रदेश

(1) आगरा (2) इलाहाबाद
(3) अवध (4) काशी हिन्दू विश्व-
(5) बुन्देलखंड विद्यालय
(6) गढ़वाल (7) गोरखपुर
(8) कानपुर (9) कुमाऊं
(10) लखनऊ (11) मेरठ और
(12) रुहेलखण्ड

गुजरात :

(1) गुजरात (2) सरदार पटेल
(3) सौराष्ट्र और (4) दक्षिण गुजरात

(ख) संविधान के अनुच्छेद 348(2) और राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7 के निबंधनों के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, उच्च-न्यायालय द्वारा पारित किए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी भाषा का या राज्य की राजभाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। अब तक ऐसे चार उच्च न्यायालय हैं अर्थात् इलाहाबाद, पटना, राजस्थान और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जहां उपरोक्त निबंधनों के अनुसार निर्णय आदि देने